46/18

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF CUSTOMS
4 JAN 2018
तिरुच्चिराप्पल्लि / TIRUCHIRAPPALLI-1

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS(PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620001 ,कन्टोनमेंट ,
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
Tel / Fax: 0431-2418819:: E-mail: cuspoltry@gmail.com

Date: .12.2017

C.No.VIII/09/04/2017-Cus.Pol

STANDING ORDER NO. 04/2017

Sub: Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 – Issue of Standing Order regarding Quantum of Bank Guarantee/cash security and requirement of Surety – Reg.

Attention is invited to Board's Circular No. 48/2017- Cus issued vide F. No. 450/28/2016-Cus IV dated 08.12.2017 and to ~~to~~ Notification No, 68/2017-Customs (N.T.) dated 30.06.2017. notifying Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules. 2017,

2. As per sub-rule (2) of rule 5 of Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 an importer in order to avail exemption provided vide notification issued under subsection (1) of section 25 of the Customs Act is required to submit such surety or security as deemed appropriate by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output services.

3. CBEC has received various references stating that the provision of submission of surety or security in the rules, is posing a major challenge for domestic industry particularly electronic hardware manufacturers as submission of surety increases the transaction cost hampering their efforts to optimise the manufacturing capacity.

4. In this regard. it is worthwhile to mention that the option to furnish surety or security along with the bond is given, in order to facilitate manufacturers and service providers keeping in view with the different business environments in which the entrepreneurs function and also to protect the interests of revenue keeping in view the objective of the Government to further simplify the business procedures and to reduce the burden of compliance cost. CBEC has decided to further ease the norms for taking security/surety along with the Bond.

Scanned by CamScanner

5. In view of the above, Bank Guarantee, cash security/ surety shall be take. as per the following norms for the purpose of extending the benefit under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty Rules. 2017.

Category of importer	Quantum of Bank Guarantee/cash security and requirement of Surety
a. All the importer (S) who are either a department of Central government or a State government or a union territory or a public Sector Undertaking or an autonomous institute under the said governments.	Bank guarantee/cash Security-Nil Surety – Not required
b. All importer who are authorized Economic operators	
c. All importer who are manufacturers or service providers registered under GST and have been filing prescribed GST returns without fail and whose annual turnover in the preceding year is above Rs. 1 crore.	Importers shall give surety for the amount of duty foregone. However, where the importer is not able to provide the surety. a Bank Guarantee/Cash Security equivalent to not more than 5% of duty foregone shall be furnished.
d. Importers, not Covered under (a), (b) & (c) above	Bank Guarantee / Cash security-Not more than 25% of the duty forgone amount

Explanation: Duty foregone would he calculated by reckoning the duty applicable if the importer were not to follow the procedure prescribed in the Customs (import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules. 2017.

6. The upper limit of Bank Guarantee/ Cash Security to the extent of 5% and 25% respectively has been fixed unless the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner has reason to demand a higher quantum of Bank guarantee/ cash security, in which case the matter shall be referred to the jurisdictional Commissioner who may order for higher quantum of Bank Guarantee or cash security subject to limit of 100%of the total duty forgone after recording the reasons thereof in writing.

7. In order to avail above exemption/relaxation from furnishing Bank Guarantee /Cash security or surety, prosecution should not have been initiated or launched against the importer under any Act administered by the Central Board of Excise &

Scanned by CamScanner

Customs or State Goods & Service Tax Act or Integrated Goods & Service Tax Act or union Territory Goods & Service lax Act during the previous three financial years

8. Where an importer so requests, the bank guarantee/ cash security be taken consignment-wise to obviate the financial harden, Further all bank guarantee(s) should have self-renewal clause.

9. All the officers are directed to follow the above instructions scrupulously. Difficulty, if any, in implementation may be brought to the notice of this office.

04/01/2018
(ASHOK)
COMMISSIONER

Copy to: All Divisions/ Aircargo, Airport Trichy to circulate among all officers /Commissionerate website.

Copy submitted to: The Chief Commissioner of Customs (Preventive) Trichy

Scanned by CamScanner

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
नं 1, विल्लियम्स रोडतिरुच्चिरा ,कन्टोनमेंट ,प्पल्लि620- 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं.VIII/09/04/2017-सीशु नीति दिनांक 04.01.2017

स्थायी आदेश सं.: 04/2017

विषय: सीमा शुल्क (रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 - बैंक गारंटी/नकद प्रतिभूति की मात्रा एवं सुरक्षा की अपेक्षा के सबंध में स्थायी आदेश जारी करना - के बारे में ।

आपका ध्यान बोर्ड का परिपत्र सं 48/2017-सीशु देखें फा.सं. 450/28/2016-सीशु IV दिनांक 08.12.2017 एवं अधिसूचना संख्या 68/2017-सीमा शुल्क (गै.टे) दिनांक 30.06.2017,जिसके द्वारा सीमा शुल्क (रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया गया था पर आकृष्ट किया जाता है ।

2. सीमा शुल्क (रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 के नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार, कोई भी आयातकर्ता उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की जा रही किसी छूट को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे जमानत या प्रतिभूति जमा करनी पडेगी जो कि उस क्षेत्राधिकार वाले जहां के ऐसे आयातित माल को अन्य माल के विनिर्माण या आउटपुट सेवाएँ प्रदान करने के लिए रखा गया हो, उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के द्वारा उचित मानी गयी हो ।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को कई अभ्यावेनल प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि इस नियम के अंतर्गत जमानत या प्रतिभूति के जमा किए जाने के प्रावधान के कारण घरेलू उद्योगों विशेषकर इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के भी निर्माताओं को बहुत बड़ी चुनौती का सामान करना पड रहा है क्योंकि इस प्रकार की स्यूरिटी से उनके कारोबार की लागत बढ जाती है और उनके विनिर्माण क्षमता का इ्ष्टतम उपयोग करने के प्रयास में अवरोध आता है ।

4. इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि बंधपत्र के साथ साथ श्यूरिटी या सेक्यूरिटी का विकल्प उद्यमी जिस तरह के विभिन्न व्यापारिक वातावरण में काम करते है उसको ध्यान में रखते हुए, विनिर्माता और सेवा प्रदाताओं को सुकर बनाने के लिए और व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन लागत के भार को कम करने के सरकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व हितों की सुरक्षा, के लिए दिया जाता है । सीबीईसी ने बंधपत्रों के साथ-साथ सेक्यूरिटी/ श्यूरिटी को भरे जाने के मानदंड को और सरल बनाने का निर्णय लिया है ।

5. उपर्युक्त बातों को देखते हुए सीमा शुल्क (रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानकों के अनुसार बैंक गारंटी/नकद सेक्युरिटी/श्यूरिटी लिया जाए ।

Scanned by CamScanner

आयातकर्ता की श्रेणी	बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी की मात्रा और श्यूरिटी की आवश्यकता
(क) सभी आयातकर्ता जो कि या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम या ऐसा कोई स्वायत्तशासी संस्थान का विभाग हो, जो कि उक्त सरकारों के अंतर्गत आता हो	बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी - शून्य श्यूरिटी - आवश्यक नहीं
(ख) सभी आयातकर्ता जो कि प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक हो	
(ग) सभी आयातकर्ता जो कि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता हो और अपना निर्दिष्ट जीएसटी रिटर्न बिना चूक के भरते आ रहे और पिछले वर्ष जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड रुपए से अधिक हो ।	आयातकर्ता परित्यक्त शुल्क की राशि के लिए श्यूरिटी देंगे। तथापि आयातकर्ता श्यूरिटी देने में जब असमर्थ है तो वह परित्यक्त शुल्क के 5% से अधिक न हो, की राशि के समतुल्य बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी जमा करेगा ।
(घ) आयातकर्ता जो कि उपर्युक्त क, ख, और ग में नहीं आते हैं ।	बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी- परित्यक्त शुल्क की राशि का 25% से ज्यादा नहीं

स्पष्टीकरण : परित्यक्त शुल्क की गणना इस तरह से की जाएगी कि मानो आयातकर्ता सीमा शुल्क (रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहता है ।

6. बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी की जो क्रमश: 5% और 25% सीमा निर्धारित की गयी है वह तब है यदि उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास अधिक मात्रा वाले गारंटी/नकद सेक्यूरिटी मांगने का कारण हो, ऐसी स्थिति में मामले को अधिकारक्षेत्रवाले आयुक्त के पास भेज दिया जाएगा जो कि बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी की उच्चतर मात्रा के लिए आदेश दे सकते है बशर्ते कि ऐसी सीमा कुल परित्यक्त राजस्व के 100 % से अधिक नहीं होगी और इसके लिए वह लिखित वे लिखित रूप में कारण को भी रिकार्ड करेंगे ।

7. उपर्युक्त बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी से छूट/रियायत पाने के उद्देश्य से पिछले तीन वित्तीय वर्षो में आयातकर्ता के खिलाफ केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के किसी अधिनियम, राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अभियोजन की कार्यवाही शुरू न की गयी हो ।

8. जहॉ की कोई आयातकर्ता इस प्रकार का अनुरोध करता है बैंक गारंटी/नकद सेक्यूरिटी को खेपवार लिया जा सकता है ताकि वित्तीय भार कम पडे । इसके अलावा सभी बैंक गारंटी में स्वत नवीकरण का प्रावधान रहता है ।

9. सभी अधिकारियों को उपरोक्त अनुदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करने का निदेश दिया जाता है । कोई भी कठिनाई आने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

अशोक
(अशोक)
आयुक्त
3/3

प्रतिलिपि : सभी मंडल/एअर कार्गो, हवाई पत्तन,तिरुच्चि को सभी अधिकारियों में परिचालित करने हेतु/ आयुक्तालय की बैवसाइट

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.

Copy to: The Supdt EDI with a request to upload in the website

Scanned by CamScanner